

राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय

उत्तर प्रदेश शासन

टैक्स की चोरी पकड़ने में शासन का साथ दें

टैक्स की चोरी आपके धन की चोरी है।

**सूचना सही पाये जाने पर
शासन द्वारा प्रशस्ति पत्र दिया जायेगा।**

क्या आपकी जानकारी में कहीं भी सरकार को देय करें जैसे-
वाणिज्य कर, मनोरंजन कर, मण्डी शुल्क,
स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन शुल्क आदि की चोरी हो रही है अथवा
बड़े पैमाने पर अवैध शराब बनाने / बिक्री या तस्करी किये जाने,
अवैध रूप से बसों, वाहनों, टैक्सियों का संचालन,
राशन / मिट्टी के तेल की कालाबाजारी, विद्युत चोरी,
पेड़ों का अवैध कटान एवं निकासी, अवैध खनन एवं
खानिजों की निकासी आदि के कृत्य किये जा रहे हैं ?

यदि हाँ, तो इसकी जानकारी तुरन्त नीचे अंकित पते पर दे सकते हैं।

आपका नाम व पता गुप्त रखा जायेगा।

निदेशक, राजस्व एवं विशिष्ट अभिसूचना

उ.प्र. सचिवालय, श्री लाल बहादुर शास्त्री भवन, लखनऊ

दूरभाष: 0522-2238408 (कार्यालय समय में)

फैक्स: 0522-2238309 ई-मेल: dri.up@nic.in